



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2005/वैशाख 19, 1927

No. 194]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2005/VAISAKHA 19, 1927

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2005

सा.का.नि. 281(अ).—केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद्युत अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

- इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत अपील अधिकरण में अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें (संशोधन) नियम, 2005 है।
- ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विद्युत अपील अधिकरण में अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें नियम, 2004 की अनुसूची में पुस्तकालय अध्यक्ष पद से संबंधित क्रम संख्यांक 7 पर —

- स्तंभ 4 के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

“5500-175-9000”

- स्तंभ 12 के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात् :—

“केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने 5000—8000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में 3 वर्ष नियमित सेवा की है; या
(iii) जिन्होंने 4000—6000 रु. के या समतुल्य वेतनमान में 10 वर्ष नियमित सेवा की है।
- (ख) (i) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या समतुल्य डिप्लोमा है।
(ii) जिनके पास किसी प्रतिष्ठित पुस्तकालय में पुस्तकालयाध्यक्ष या सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव है”।

[फा. सं. 23/64/2003-आर और आर]

अजय शंकर, अपर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 (i), तारीख 28 अक्टूबर, 2004 में सा.का.नि. 721(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th May, 2005

G.S.R. 281(E).—In exercise of the powers conferred by clause(s) of sub-section (2) of Section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Appellate Tribunal for Electricity Salary, Allowances and other Conditions of Service of the Officers and Employees Rules, 2004, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Appellate Tribunal for Electricity Salary, Allowances and other Conditions of Service of the Officers and Employees (Amendment) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of the publication in the Official Gazette.

2. In the Appellate Tribunal for Electricity Salary, Allowances and other Conditions of Service of the Officers and Employees Rules, 2004, in the Schedule; at serial number 7 for the post of Librarian —

(i) for the entries under column 4, the following shall be substituted, namely :—

“5500-175-9000”

(ii) for the entries under column 12, the following shall be substituted, namely :—

“Officers under the Central Government :

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
(ii) with 3 years regular service in the scale of Rs. 5000—8000 or equivalent; or
(iii) with 10 years regular service in the scale of Rs. 4000—6000 or equivalent;
- (b) (i) possessing a degree or equivalent diploma in Library Science from a recognized University or institute.
(ii) 5 years experience as Librarian or Assistant Librarian in a reputed library”.

[F.No. 23/64/2003-R & R]

AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 28th October, 2004, Part II, Section 3(i) *vide* number G.S.R. 721(E).